

कार्यालय, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिमडेगा।

अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या- 01/2021-22

समुचित श्रेणी में निबंधित संवेदकों से निम्नांकित कार्य के लिए परिमाण विपत्र पर मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है -

विभाग	योजना विभाग, सिमडेगा
1	विज्ञापनदाता का नाम
2	परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि
3	निविदा प्राप्त करने की तिथि एवं समय
4	निविदा खोलने की तिथि एवं समय
5	परिमाण विपत्र के बिक्री का स्थान
6	निविदा प्राप्ति का स्थान

7 कार्य की विवरणी

क्र०सं०	कार्य का नाम	प्राक्कतित राशि	अग्रघन की राशि	परिमाण विपत्र मूल्य	कार्य समाप्ति की अवधि
1	लुकीबहार में पट्टा पथ पी०सी०सी० का निर्माण कार्य	1500000.00	30000.00	2500.00	3 माह
2	बांसपहार में बाजार शेड तक पट्टा पथ पी०सी०सी० का निर्माण कार्य	1966690.00	39500.00	5000.00	3 माह
3	सदर अस्पताल में 50 बेड वार्ड का छत मरम्मत	740000.00	15000.00	1250.00	3 माह

निविदा शर्तः-

परिमाण विपत्र क्रय हेतु निम्नांकित शर्तों को पूरा करना होगा।

- 1 भवन निर्माण, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल एवं ग्रामीण कार्य विभाग में निबंधित संवेदक ही निविदा में हिस्सा ले सकेंगे। परिमाण विपत्र के क्रय हेतु निबंधन पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 2 परिमाण विपत्र का मूल्य (जो वापस नहीं होगा) राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट होगा जो प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिमडेगा के पदनाम से देय होगा।
- 3 कार्य आवंटन में स्थानीय संवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- 4 कार्य आवंटन में समुचित श्रेणी के संवेदकों को नियमानुसार प्राथमिकता दी जाएगी।
- 5 निविदादाता को योजना से संबंधित Work programme देना अनिवार्य होगा।
- 6 किसी भी परिस्थिति में योजना प्राक्कलन का पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा।
- 7 निविदा के साथ जमा की जानेवाली अग्रघन की राशि जो परिमाण विपत्र में अंकित है डाकघर के 05 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र या 3/5 वर्षीय की डाकघर सावधि जमा पासबुक या बैंक सावधि जमा पासबुक समर्पित करना अनिवार्य होगा, जो प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिमडेगा के पदनाम से प्रतिक्षित होगा।

- 8 निविदा हेतु निर्धारित तिथि/समय के बाद प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 9 जीजल, पेट्रोल अथवा कार्य में प्रयुक्त सामग्रियों की कीमत में वृद्धि होने पर किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
- 10 निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना अनिवार्य होगा।
- 11 निर्माण कार्य में उपयोग हेतु लघु खनिजों की आपूर्ति संचेदक को वैध स्रोत से सुनिश्चित करना अनिवार्य है, एवं एतद विषयक खनिज विभाग द्वारा जारी स्वामित्व अदायगी से संबंधित स्वच्छता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 12 समुचित गुणवत्ता वाली निर्माण सामग्री यथा - सीमेन्ट, छड़, गिट्टी, बालू इत्यादि निर्माण सामग्री की व्यवस्था भी संचेदक को अपने स्तर पर आपूर्ति करनी होगी। प्रखण्ड कार्यालय किसी भी निर्माण समग्री की व्यवस्था नहीं करेगी न ही किसी अन्तर मूल्य का भुगतान किया जाएगा।
- 13 परिमाण विपत्र में अंकित प्राक्कलित राशि से 10 प्रतिशत कम दर से नीचे का दर मान्य नहीं होगा।
- 14 निविदादाता जिन्हें कार्य आवंटित होगा वे कार्य सबलेट नहीं करेंगे।
- 15 कार्य आवंटित होने के पश्चात् सात दिनों के अन्दर एकरारनामा प्रस्तुत कर कार्य प्रारंभ करना होगा अन्यथा निविदा को रद्द कर अग्रवर्ग की राशि जब्त कर ली जाएगी।
- 16 बिना कारण बताये ये सभी निविदा को रद्द करने का अधिकार या एक से अधिक संचेदक को कार्य आवंटन का अधिकार अग्रहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।
- 17 निविदा के साथ आवार कार्य, अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र, आयकर प्रमाण पत्र, जी०एच०टी० रिटर्न प्रमाण पत्र (03 वर्षों का) एवं पैन कार्य की अतिप्रमाणित छायाछवि संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 18 निविदादाता निविदा में भाग लेने के पूर्व ही कार्य एवं कार्यस्थल की जानकारी प्राप्त कर संतुष्ट हो लेंगे।
- 19 समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने पर नियमानुसार राशि की कटौती कर ली जाएगी, विशेष परिस्थिति में ही समय वृद्धि मान्य होगा।
- 20 01 प्रतिशत राशि लेंबर शेष वेतक्रेयर फण्ड हेतु विपत्र से कटौती किया जाएगा, जो वापस देय नहीं होगा।
- 21 आयकर एवं बिक्री कर की राशि विपत्र से नियमानुसार कटौती की जायेगी जिसका समर्पण एवं वापसी का प्रक्रिया संबंधित विभाग से नी कृत करेंगे।
- 22 योजना प्रारंभ करने से पूर्व, योजना के कार्यान्वयन के दौरान एवं योजना पूर्ण होने के उपरांत स्थल का फोटोग्राफी करके संचेदक तीन-तीन प्रतिशत में कार्यालय में (अपनी तालत से) जमा करवाएंगे।
- 23 कार्यान्वित की जा रही योजना का स्थल पर सुगोचक स्थान पर एक सूचना पट्ट तगाया जाएगा जिसमें योजना का नाम एवं पूरी विवरणी अंकित की जाएगी।

प्रखण्ड विकास अधिकारी,
सिमडेगा।

ज्ञापक 1301 (ii) /दिनांक 10/06/2021

प्रतिलिपि- जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, सिमडेगा को सूचनार्थ प्रेषित एवं अनुरोध है कि दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करने का कृपा की जाय।

प्रतिलिपि- जिला योजना पदाधिकारी, सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सिमडेगा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त निविदा को जिला के वेबसाइट www.simdega.nic.in में उपलब्ध करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि- उपायुक्त, सिमडेगा को सादर सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित।

प्रखण्ड विकास अधिकारी,
सिमडेगा।